संख्या-03/2016-75/58-2016-261/2015

प्रेषक,

इन्दुबाला कटियार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 07 जनवरी, 2016**

विषय: **वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में उद्यान शाखा के अधीन संचालित केन्द्रीय आयोजनागत योजना "राज्य औद्यानिक मिशन" योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अपेक्षित धनराशि के अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-214/बजट-आयोजनागत-2015-16, दिनांक 24.11.2015 एवं पत्र संख्या-260/बजट-आयोजनागत-2015-16, दिनांक 10.12.2015 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-18/2015-1623/58-2015-261/2015, दिनांक 18.8.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में केन्द्र पोषित चालू योजना "राज्य औद्यानिक मिशन" योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि के अतिरिक्त् 60 प्रतिशत केन्द्रांश की धनराशि रू0-55748 हजार तथा 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि रू0-37165 हजार अर्थात कुल धनराशि रू0-92913 हजार (रूपये- नौ करोड़ उन्तीस लाख तेरह हजार) मात्र की और धनराशि अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नलिखित विवरण के अनुसार व्यय किये जाने हेतु

http://shasanadesh.up.nic.in

आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

अनुदान सं0-10 **(धनराशि हजार रूपये में)**

लेखाशीर्षक/मद का नाम	कोड सं0/मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अनुदान	अब तक अवमुक्त धनराशि	वर्तमान में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
<u>राजस्व लेखा</u> 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत- 119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें- 01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें- 0101-राज्य औद्यानिक मिशन (के.85/रा.15-के+रा)	02-मजदूरी	2000	100	1900
	4-यात्रा व्यय	1500	650	100
	08-कार्यालय व्यय	2000	950	0
	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	2500	400	300
	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	800	100	100
	13-टेलीफोन	994	428	200

http://srasanadesh.up.nic.in

	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	7500	4750	1000
	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	6000	3200	0
	18-प्रकाशन	2500	500	0
	19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	2000	500	500
	27-सब्सिडी	507218	131185	88163
	29-अनुरक्षण	2500	200	0
	42-अन्य व्यय	20000	20000	0
	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	2000	2000	0
	44-प्रशिक्षण	20000	20000	0
	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1500	0	500
	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2500	600	150
	योग-2401	583512	185563	92913

(रूपये-नौ करोड़ उन्तीस लाख तेरह हजार मात्र)

1- केन्द्रीय योजनाओं को ट्रेजरी के माध्यम से चलाये जाने के निर्णय के फलस्वरूप संदर्भित योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा नवीन पैटर्न के अनुसार केन्द्रांश व राज्यांश के क्रमश: 60:40 प्रतिशत के अनुपात में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में धनराशि व्यय की जायेगी। अतएव भारत

http://shasanadesh.up.nic.in

सरकार से कार्ययोजना के अनुमोदन तथा केन्द्रांश की धनराशि की स्वीकृति निर्गत हो जाने की स्थिति में आवश्यकतानुसार आहरण की कार्यवाही की जाय।

2- प्रस्तर-1 में दी गयी शर्त के अनुसार नियमानुसार केन्द्रांश/राज्यांश की धनराशि का व्यय, राज्य औद्यानिक मिशन योजनान्तर्गत भारत सरकार, कृषि मंत्रालय के निर्देशानुसार राज्य औद्यानिक मिशन/जिला औद्यानिक मिशन नियमावली में निहित प्राविधानों के तहत किया जायेगा एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.3.2015 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त धनराशि का व्यय जनपदवार भारत सरकार से स्वीकृत परिव्यय/योजना के अनुसार निर्धारित नवीन फन्डिंग पैटर्न के अनुरूप ही किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता माना जायेगा तथा किसी भी प्रकार का व्यावर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

4- जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5- अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जाय।

6- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों सहित मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय।

7- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण व वित्त नियंत्रक इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय।

8- भण्डार क्रय नियमों एवं शासन के सुसंगत नियमों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9- उक्त प्रस्तर में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में कार्यरत जनपदीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि

http://shasanadesh.up.nic.in

निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले को पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन/वित्त विभाग को तत्काल दिया जाय।

10- यदि विभाग द्वारा भारत सरकार/शासन द्वारा निर्धारित शर्तों का विचलन किया जाता है, तो उसके लिए निदेशक, मिशन/उद्यान तथा सम्बन्धित जनपद के जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान तथा वित्त नियन्त्रक, उद्यान विभाग सीधे उत्तरदायी होंगे।

11- प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि की उपयोगिता रिपोर्ट पूर्ण विवरण सहित प्रत्येक माह के 10 तरीख तक शासन को अवश्य ही उपलब्ध करायी जाय।

12- उक्त धनराशि का 50% प्रथम किश्त के रूप में आहरित करेंगे तथा उक्त धनराशि का 75% व्यय होने के उपरान्त ही 50% द्वितीय किश्त के रूप में आहरित करना सुनिश्चित करेंगे।

13- वित्त लेखा अनु0-1 के शासनादेश दिनांक 29 मई 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तदनुसार सुनिश्चित किया जाय।

14- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें-0101-राज्य औद्यानिक मिशन के अन्तर्गत उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

15- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0प0सं0-ई-1/759/दस-2015, दिनांक 06 जनवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:-03/2016-75(1)/58-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा, प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।

(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

(6) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in